उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या- 42/2018/841/छप्पन-2018-08/2013
लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

<u>शुद्धि-पत्र</u>

चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु भूमि क्रय किए जाने हेतु शासनादेश संख्या-27/2018/554/छप्पन-2018-08/2013 दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा धनराशि रूपए 2,39,65,00,325/- (रूपए दो अरब उन्तालिस करोड़ पैंसठ हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 में रूपए 56,79,90,446/- (रूपए छप्पन करोड़ उन्यासी लाख नब्बे हजार चार सौ छियालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी।

2- उक्त शासनादेश के द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन की धनराशि रूपए 2,39,65,00,325/- टंकण त्रुटि के कारण शब्दों में (रूपए दो अरब उन्तालिस करोड़ पैंसठ हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) टंकित हो गई है। अत: इसे रूपए 2,39,65,00,325/- (रूपए दो अरब उन्तालिस करोड़ पैंसठ लाख तीन सौ पच्चीस मात्र) पढ़ा जाए।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

<u>संख्याः 42/2018/841(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(7) जिलाधिकारी, लखनऊ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, लखनऊ।
(9) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13 ।
(12) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।